रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 597] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 28, 2015/आश्विन 6, 1937
No. 597] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 28, 2015/ASVINA 6, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2015

सा.का.नि. 741(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और भूमि सीमा शुल्क विभाग, वित्त मंत्रालय, ज्येष्ठ कर सहायक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2003 और राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, उप कार्यालय अधीक्षक समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2009 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के नियंत्रण के अधीन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभाग में कार्यकारी सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क विभाग, कार्यकारी सहायक (समूह 'ख' अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **आवेदन लागू होना :**– ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनूसूची के स्तभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगें।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान –** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **विशेष उपबंध :-** प्रत्येक काडर नियंत्रक प्राधिकारी का अपना पृथक काडर होगा, जब तक कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क नियंत्रण बोर्ड द्वारा अन्यथा विहित न हो।

5. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा अन्य अर्हता, आदि –** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

6. निरर्हता वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. **शिथिल करने की शक्ति –** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. **व्यावृत्ति–** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछडें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कार्यकारी सहायक	4673* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800 . + ग्रेड वेतन 4200 रु.	चयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
तीस वर्ष से अधिक ना हो	**आवश्यक :** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिग्री; (ii) आंकडा प्रविष्टि कार्य के लिए 15000 की – डिप्रेशन अन्यून की गति से (iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर उपयोजन के छह मास की न्यूनतम अवधि का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम किया होना चाहिए।

	टिप्पण 1 : इलैक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन पर आंकडा प्रविष्टि कार्य की 15000 की –डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति के कार्य पर निर्णय गति परीक्षण द्वारा की जा सकती है। **टिप्पण 2 :** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
आयु – नहीं शैक्षिक अर्हताएं – नहीं	दो वर्ष	60 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा और 40 प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति : वेतन बैंड 1, 5200-20200 रुपए + ग्रेड वेतन 2400 रू. में ऐसे कर सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है और जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण किया है। **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा का वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति /प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए जिसमें निम्नलिखित होंगे :- **(क) समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए);** (I) एकल आयुक्तालय अर्थात् ऐसे आयुक्तालय के लिए जिसमें सम्मिलित काडर नहीं है :- (i) परिक्षेत्र या क्षेत्र के आयुक्तालय के अधीन आयुक्त की पंक्ति का एक अधिकारी – अध्यक्ष	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(ii) अपर आयुक्त (पी एंड वी) - सदस्य

(iii) उप आयुक्त (प्रशासन का देख-रेख करने वाला) – सदस्य

(II) मिश्रित आयुक्तालय अर्थात् ऐसे दो या अधिक आयुक्तालय के लिए जिसमें सम्मिलित काडर हैं :-

(i) परिक्षेत्र या क्षेत्र के प्रधान आयुक्तालय के अधीन आयुक्त की पंक्ति का एक अधिकारी – – अध्यक्ष

(ii) अपर आयुक्त (पी एंड वी) – सदस्य

(iii) उप आयुक्त (प्रशासन का देख-रेख करने वाला) – सदस्य

(ख) समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) :-

(I) एकल आयुक्तालय अर्थात् ऐसे आयुक्तालय के लिए जिसमें सम्मिलित काडर नहीं है :-

(i) परिक्षेत्र या क्षेत्र के आयुक्तालय के अधीन आयुक्त की पंक्ति का एक अधिकारी –अध्यक्ष

(ii) अपर आयुक्त (पी एंड वी) – सदस्य

(iii) उप आयुक्त (प्रशासन का देख-रेख करने वाला) – सदस्य

(ii) मिश्रित आयुक्तालय अर्थात् ऐसे दो या अधिक आयुक्तालय के लिए जिसमें सम्मिलित काडर हैं :-

(i) परिक्षेत्र या क्षेत्र के प्रधान आयुक्तालय के अधीन आयुक्त की पंक्ति का एक अधिकारी – अध्यक्ष

(ii) अपर आयुक्त (पी एंड वी) – सदस्य

(iii) उप आयुक्त (प्रशासन का देख-रेख करने वाला) – सदस्य

[फा.सं. ए – 12018/01/2012 –प्रशा. -3 (बी)]

राजपाल सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2015

G.S.R. 741(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Excise and Customs Department Senior Tax Assistant (Group C posts) Recruitment Rules, 2003 and the Department of Revenue, Central Excise and Customs, Deputy Office Superintendent Group 'B' Post Recruitment Rules, 2009, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Executive Assistant in the Central Excise and Customs Department under the control of the Central Board of Excise and Customs in the Department of Revenue, Ministry of Finance , namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1)These rules shall be called the Central Excise and Customs Department, Executive Assistant (Group 'B', Non- Gazetted posts) Recruitment Rules, 2015.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and pay band and grade pay or scale of pay. — The number of said posts, its classification and pay band and grade pay or the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule.

4. Special Provision. — Each cadre controlling authority shall have its own separate cadre, unless otherwise prescribed by the Central Board of Excise and Customs.

5. Method of recruitment, age limit, other qualification, etc. – The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

6. Disqualification. – No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living , or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. Savings.- Nothing contained in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay band and grade pay/pay scale	Whether Selection post or Non-Selection post	Age limit for Direct Recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Executive Assistant	4673 * (2015) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service Group "B" Non-Gazetted Ministerial	Pay Band -2 Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs.4200/-	Selection	Not Exceeding thirty years.	**Essential:** (i) Degree from a recognised University or Institute; (ii) Should possess a speed of not less than 15000 key depressions per hour for data entry work; (iii) Should have undergone a certificate course in computer applications of duration of minimum six months from a recognised University or

						Institute. **Note 1.** The speed of 15000 key depressions per hour for data entry work is to be judged by conducting a speed test on the electronic data processing machine. **Note:2.**Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion/ deputation/ absorption and percentage of posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion /deputation / absorption, grade from which promotion/ deputation /absorption to be made
(8)	(9)	(10)	(11)
AGE: NO EQS: NO	Two years	60% by promotion and 40% by direct recruitment through Staff Selection Commission.	**Promotion :** Tax Assistant in the Pay Band-1, Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 2400/- with ten years of regular service in the grade and have passed the departmental examination as specified by the competent authority from time to time. **Note1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of

			the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be Consulted in making recruitment.
(12)	(13)
(A) Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion): (I) For Single Commissionerates, i.e., Commissionerates having no common cadre:- (i) An officer of the rank of Commissioner under the Commissionerate of the zone or region – Chairman. (ii) Additional Commissioner (P & V) – Member. (iii) Deputy Commissioner (looking after the administration) – Member. (II) For Composite Commissionerates, i.e., two or more Commissionerates having common cadre:- (i) An officer of the rank of Commissioner under the principal Commissionerate of the zone or region – Chairman. (ii) Additional Commissioner (P &V) – Member. (iii) Deputy Commissioner (looking after the administration) – Member. **(B) Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation):** (I) For single Commissionerates, i.e., Commissionerates having no common cadre:- (i) An officer of the rank of Commissioner under the Commissionerate of the zone or region – Chairman. (ii) Additional Commissioner (P &V) – Member.	Consultation with UPSC not necessary.

(iii) Deputy Commissioner (looking after the administration) – Member. (II) For Composite Commissionerates, i.e., two or more Commissionerates having common cadre:- (i) An officer of the rank of Commissioner under the principal Commissionerate of the zone or region – Chairman. (ii) Additional Commissioner (P &V) – Member. (iii) Deputy Commissioner (looking after the administration) – Member.	

[F. No. A-12018/01/2012-Ad. III.(B]
RAJPAL SINGH, Under Secy.

Printed by the Manager. Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.